

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 22/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 20.03.2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद द्वारा अधिसूचना सं. 11/2017-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/डीआरआई) दिनांक 13.10.2017, जो कि क्रमशः अधिसूचना सं. 18/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/डीआरआई) दिनांक 05.09.2018, का.आ. 3321(अ) दिनांक 13.10.2017 द्वारा प्रकाशित और का.आ. 4283(अ) दिनांक 05.09.2018 के साथ पठनीय है, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

अधिसूचना सं. 11/2017-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/डीआरआई) दिनांक 13.10.2017 की तालिका के क्रम सं. 3 के स्तंभ सं. 3 के शब्दों के लिए क्रमशः "सी. सं. VIII/ICD/6/TKD/SIIB-Exp/DRI-SCN/13/16 दिनांक 30.03.2016" और "सी. सं. VIII/6/ICD/PPG/SIIB/GDM/27/2016 दिनांक 31.03.2016, दिनांक 06.04.2016 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय", "सी. सं. VIII/ICD/6/TKD/SIIB-Exp/DRI-SCN/13/16 दिनांक 30.03.2016, दिनांक 22.10.2019 के परिशिष्ट के साथ पठनीय" और "सी. सं. VIII/6/ICD/PPG/SIIB/GDM/27/2016 दिनांक 31.03.2016 दिनांक 06.04.2016 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय और दिनांक 30.07.2019 के परिशिष्ट के साथ पठनीय" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-10/2017-CI]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतू प्रेषित:-

1. आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली.
2. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कार्यालय आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली.
3. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), आईसीडी-पटपड़गंज एवं अन्य आईसीडी, दिल्ली.
4. उप निदेशक (सीआई), सी सेल, डीआरआई(मुख्यालय), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे उनसे संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को वर्तमान अधिसूचना के जारी होने के बारे में सूचित करें।